वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

सं.: 5-1(852)/2023-पीडी　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 22.05.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संशोधित मानस (MANAS) के अंतर्गत गैर-तकनीकी कार्मिकों के ग्रुप-। में समावेशन पर स्पष्टीकरण -संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय को सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि संशोधित मानस के अंतर्गत ग्रुप-। में गैर-तकनीकी कार्मिकों का समावेशन प्रचालन में है अथवा नहीं।

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप-। में समावेशन व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय है क्योंकि सीएसआईआर ने ग्रुप-। के पदों को न भरने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना सीएसआईआर के दिनांक 21.07.2010 के परिपत्र सं. 5-1(88)/2010-पीडी के माध्यम से पहले ही दी जा चुकी है।

तदनुसार, संशोधित मानस के अंतर्गत समूह-। में गैर-तकनीकी कार्मिकों के समावेशन के लिए यदि कोई अभ्यावेदन/याचिका हो तो, उसका निपटान प्रयोगशाला/ संस्थान के स्तर पर किया जा सकता है।

22/05/25

(अमरेंद्र कुमार)
अवर सचिव (पीडी)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ संस्थानों/ मुख्यालयों/इकाइयों के निदेशक/ प्रमुख
2. सीएसआईआर की वेबसाइट
3. कार्यालय प्रतिलिपि